अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

सं. 23/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4374(अ).— केंद्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक 366 (अ), तारीख 1 जून 2021 (सं. 22/2021-केंद्रीय कर) द्वारा प्रकाशित की गई थी को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिस के दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन किया जाता है ।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के किसी मास के प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए केंद्रीय कर की कुल रकम शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक